राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज0, जयपुर

कमांक एफ.18(आई–3)आईडब्ल्युएमपी / निजभूस / 10–11 / 6661–6737 दिनांक 5-12-11

परियोजना प्रबन्धक
वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद, समस्त

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी योजनान्तर्गत जलग्रहण विकास दल गठन के संबंध में।
प्रसंग :– विभाग के समसंख्यक पत्रांक 3958 दिनांक 31.05.2011 के संदर्भ में।

उपरांक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल सदस्यों की चयन प्रकिया स्थगित की गई थी एवं विभागीय पत्रांक 4113–44 दिनांक 09.06.2011 के माध्यम से निर्देश दिये गये थे कि पूर्व की जलग्रहण परियोजनाओं नें कार्यरत जलग्रहण विकास दल के सदस्य, जो कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत निर्धारित योग्यता रखते है, का ही चयन आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत करते हुए सम्पूर्ण प्रकिया दो माह में पूर्ण की जावें। सम्भवतः अब तक उक्त कार्यवाही आपके स्तर से सम्पादित की जा चुकी होगी।

अतः आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल सदस्यों हेतु चयन प्रकिया पर लगाई गई रोक इस शर्त के साथ हटायी जाती है कि पूर्व की जलग्रहण योजनाओं में कार्यरत जलग्रहण विकास दल सदस्य, जो कि आई. डब्ल्यू.एम.पी. योजना हेतु पात्रता रखते हैं, ऐसे सभी सदस्यों के आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में समायोजन के उपरान्त ही जलग्रहण विकास दल के शेष सदस्यों का चयन किया जायेगा तथा नवीन जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के चयन हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में इस बाबत स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

निदेशक

कमांक एफ.18(आई–41)आईडब्ल्युएमपी / निजभूस / 10–11 / 6661–6737 दिनांक 5-12-11

प्रतिलिपि :
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एम.आई.ई.एस.), निदेशालय, जयपुर।
4. उपनिदेशक (IWMP-I/II/III/IV/V/VI/VII) / परियोजना अधिकारी (भू–संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
5. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त
6. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक